न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 01/2024
निर्णय दिनांकः– 24.05.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कानाराम पुत्र भैरू
2. गोपाल पुत्र भैरू
3. भंवरलाल पुत्र भैरू
4. बद्री पुत्र गणेश
5. रमेश चन्द चौधरी पुत्र मंगलाराम
6. सुरेश कुमार चौधरी पुत्र मंगलाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थानं

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री हनुमान सहाय सिहाग वकील प्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 एल0आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.05.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि खातेदारी आराजी भूमि आराजी खसरा नम्बर 132/1 रकबा 1.4542 हैक्टेयर, ख0न0 132/3 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.9853 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान में स्थित है। जिसके प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार ही काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त है, उक्त खसरा नम्बरान के मूल ख.नं. 132 के तकासमा उपरान्त ख0न0 132/1, 132/2, 132/3 हुये है, जिसकी तरमीम, तकासमा की पुस्त पर सही कर दी गयी परन्तु डी0आई0एल0आर0एम0पी के योजना अन्तर्गत की गयी तरमीम में प्रार्थीगण के ख0न0 को बिना किसी आदेश के रकबा कम–ज्यादा कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के ख0न0 132/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा था, उसको नवीन तरमीम में रकबा कम करके 2 बीघा 02 बिस्वा कर दिया एव ख0न0 132/3 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा था, जिसको 5 बीघा 15 बिस्वा कर दिया गया इस प्रकार प्रार्थीगण के ख0न0 की नक्शा ट्रेस में तरमीम सहवन से राज्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से गलत कर दी गयी, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने राजस्व केम्प में भी दिनांक 09.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला – दूदू

था, परन्तु तहसीलदार महोदय फागी द्वारा श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान के समक्ष वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु आदेशित फरमा दिया गया इसलिये प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त तरमीम मौके व कब्जेनुसार की गयी है, परन्तु राजस्व नक्शा में सहवन से रकबा कम–ज्यादा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, चूंकि उक्त तरमीम राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड ऑनलाईन करते समय की गयी है, जो मौके व रिकार्ड के विपरित होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी के समक्ष दिनांक 09.05.2023 को उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था परन्तु तहसीलदार महोदय फागी द्वारा तरमीम दुरूस्त नहीं करने के कारण श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्त पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को पूर्ण रूप से प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार फागी द्वारा जारी रिपोर्ट सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम बुकनी के आराजी ख0नं0 132/1, 132/3 के नजरी नक्शा व वर्तमान मौका अनुसार की तरमीम नामान्तकरण संख्या 660 की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शा व मौका अनुसार आराजी ख0नं0 132/1, रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा व 132/3 का रकबा 5 बीघा 15 बीस्वा है। परन्तु डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत की तरमीम में ख0नं0 132/1 रकबा 5 बीघा 15 व ख0नं0 132/3 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा कर दिया गया। डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजनार्न्तगत की गई तरमीम नजरी नक्शे अनुसार एवं मौके अनुसार तरमीम सहवन से गलत हो गई रिपोर्ट अंकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त गलत कर दी गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 132/1, की तरमीम 2 बीघा 2 बीस्वा एवं 132/3 की तरमीम 5 बीघा 15 बीस्वा किया जाना न्यायोचित है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने पर अपनी कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

गया। अवलोकन करने पर पाया की उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बूकनी मे स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2076 – 2079 वाके ग्राम बूकनी के ख0न0 132/1 रकबा 1.4542 हैक्टेयर व 132/3 रकबा 0.5311 हैक्टेयर मे प्रार्थी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2023 की प्रमाणित छायाप्रति अनुसार पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शानुसार ख0न0 132/1 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा व ख0न0 132/3 का रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है लेकिन डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के तहत की गई तरमीम मे ख0न0 132/1 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा व ख0न0 132/3 का रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा दर्ज है। तहसीलदार फागी द्वारा सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक ~~30.01.2023~~ 30.11.2023 की प्रमाणित छायाप्रति अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर सहमति प्रदान की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132/1 रकबा 1.4542 हैक्टेयर, ख0न0 132/3 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.9853 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बुकनी तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। तहसीलदार फागी को पालनार्थ पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/5/24.
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू